



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231397
CG-DL-E-26112021-231397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4476]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/ अग्रहायण 03, 1943

No. 4476]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 03, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 4843(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मिनी- सैक्रिटैरीअट्, ईस्ट- ब्लाक्, 2एनडी फ्लौर, उखरुल (NH29) के कि.मी 0 से 11.009 मणिपुर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH29 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डैप्यटी कमिषनर्, उखरुल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	मणिपुर	उखरुल	जेस्सामी	1 जेस्सामी

		NH29 के कि.मी. 0 से 11.009 तक			
--	--	---	--	--	--

[फा. सं. Nhicl/pmu-ukhrul/JLB/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2021

S.O. 4843(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 0 to 11.009 of Mini- Secretariat, East- Block ,2nd floor ,Ukhrul (NH29) in the State of MANIPUR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MANIPUR

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH29 in the State of MANIPUR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner,ukhrul	0KM To 11.009KM	MANIPUR	UKHRUL	Jessami	1 Jessami

[F. No. Nhicl/pmu-ukhrul/JLB/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director